## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## Section 14 : Change in rate of tax in respect of supply of goods or services

Notwithstanding anything contained in section 12 or section 13, the time of supply, where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both, shall be determined in the following manner, namely:—

- (a) in case the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax,—
  - (i) where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier; or
  - (ii) where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice; or
  - (iii) where the payment has been received before the change in rate of tax, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment;
- (b) in case the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax,—
  - (i) where the payment is received after the change in rate of tax but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment; or
  - (ii) where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier; or
  - (iii) where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice:

**Provided** that the date of receipt of payment shall be the date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after four working days from the date of change in the rate of tax.

**Explanation**—For the purposes of this section, "the date of receipt of payment" shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

www.cggst.com

## धारा 14 : माल या सेवाओं के पूर्ति की संबंध में कर की दर में परिवर्तन

धारा 12 या 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां पूर्ति के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :

- (क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर दी गई है, उस दशा में,—
  - (i) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी उसके पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा;
  - (ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किन्तु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा: या
  - (iii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किन्तु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा;
- (ख) कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति किए जाने की दशा में.—
  - (i) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किन्तु बीजक कर की दर में परिवर्तन से पूर्व जारी कर दिया गया है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा;
  - (ii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या
  - (iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किन्तु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगाः

परन्तु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में संदाय को जमा करने की तारीख होगी, यदि बैंक खाते में ऐसा जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''संदाय प्राप्ति की तारीख'' वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा—बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

www.cggst.com